वार्षिक रिपोर्ट

2010-11

इन्डोपिप्टाडीनिया अवधेन्सिस के फूल

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड

लखनऊ

वार्षिक रिपोर्ट

2010–2011

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
लखनऊ

आवारण छायाचित्र : *इन्डोपिप्टाडीनिया अवधेन्सिस* के फूल

छायाचित्र साभार : श्री गुरमीत सिंह
उपप्रभागीय वनाधिकारी सोहलवा वन्यजीव वन प्रभाग

प्रकाशक:

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
तृतीय तल, ए ब्लॉक, पूर्वी विंग
पिकप भवन, गोमती नगर,
लखनऊ-226010
फोन 0522-4006746, 2306491
ईमेल: uupstatebiodiversityboard@gmail.com
वेबसाईट : http://www.upsbdb.org

विषय सूची

1. प्रस्तावना 1
2. बोर्ड की बैठकें 3
3. जन जैव विविधता पंजिका का निर्माण 5
4. जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन 6
5. परियोजनायें 8
6. अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस–2010 11
7. जन जागरुकता कार्यक्रम 14
    1. आर्बर दिवस, 6 सितम्बर, 2010 14
    2. विश्व वन्यजीव सप्ताह, 1–7 अक्टूबर 2010 14
    3. विश्व वेटलैंड दिवस, 2 फरवरी, 2011 16
    4. विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च 2011 20
8. मानव संसाधन विकास 21
9. प्रकाशन 24
10. वित्त एवं लेखा 29

संलग्नक : नियमावली 34

प्रस्तावना:

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18, सन् 2003) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2003 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों का निर्वहनीय उपयोग तथा जैव संसाधनों एवं ज्ञान के उपयोग से प्रोद्भूत लाभों का उचित एवं साम्यपूर्ण रीति से हिस्सेदारी और उससे संबन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था की गई है।

जैव विविधता अधिनियम में भारतीय जैव विविधता और उसके संरक्षण, दुर्विनियोजन के विरूद्ध अभिरक्षण, पहुंच हेतु विनियमन और जैव विविधता एवं सहबद्ध ज्ञान के निर्वाह योग्य उपयोग पर प्रभुता संपन्न अधिकारों की स्थापना के लिए एक विधिक क्रियाविधि की व्यवस्था की गई है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 का कियान्वयन, कियाकलापों का विकेन्द्रीकृत विनियमन करते हुए, जैव विविधता प्रबंधन समितियों राज्य जैव विविधता बोर्डों और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के माध्यम से, प्रत्येक के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुपरिभाषित कृत्यों के साथ, किया जाता है। तद्नुसार इसका प्रचालन त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है।

अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य द्वारा अधिनियम की धारा–22 के अधीन एक राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किया जाना है। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या 1498/14–5–2006–57/2006 दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के द्वारा बोर्ड की स्थापना की है और इसने दिनांक 20.09.2006 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(i) बोर्ड के कृत्य :–

जैव विविधता अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित हैं ;

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जारी किन्ही दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों का निर्वाह योग्य उपयोग और जैव संसाधनों के उपभोग से प्रोद्भूत लाभों के साम्यपूर्ण हिस्सेदारी से सम्बन्धित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) भारतीयों द्वारा किसी जैव संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग हेतु निवेदनों को अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा रूप से विनियमित करना ;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों या जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायं।

(ii) राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन :

बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं :–

(एक)	प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य
(तीन)	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य
(चार)	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग/कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य
(पाँच)	प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य
(छः)	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(सात से ग्यारह)	पाँच विशेष सदस्य	विशेषज्ञ सदस्य

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) की धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या 570/14–5–2010–57/2006 दिनांक 19 अप्रैल, 2010 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 (देखें *संलग्नक* : नियमावली) का प्राख्यापन किया।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 के नियम 19 (3) के अनुसार बोर्ड द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य सरकार उसे विधान सभा के समक्ष रखेगी।

बोर्ड की बैठकें :

बोर्ड की गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए बोर्ड के सदस्यों की बैठक नियमित अन्तराल पर आयोजित की गई। प्रतिवेदनाधीन अवधि में बोर्ड की दो बैठकें हुईं। प्रत्येक बैठक में पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की पहले पुष्टि की गयी तद्परान्त पूर्व की बैठकों में दिये गये निर्देशों/निर्णयों के सम्बन्ध में की गयी अग्रतर कार्यवाही व उसकी प्रगति पर चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बैठक में बोर्ड के सचिव द्वारा पूर्व में बोर्ड की विविध गतिविधियों का विस्तृत विवरण सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन बैठकों में लिये गये प्रमुख निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:–

बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांकित 29 नवम्बर, 2010 :

1. छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बोर्ड के उप प्रबन्धक (सिस्टम) का वेतन निर्धारण करने की स्वीकृति।
2. वर्ष 2009–10 की अंकेक्षित रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। बोर्ड ने वर्ष 2009–10 के बजट और व्यय का अनुमोदन किया।
3. वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित बजट और वर्ष 2011–12 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।
4. बोर्ड के कार्यालय हेतु अतिरिक्त आफिस स्थान की स्वीकृति।
5. बोर्ड के समक्ष परियोजनाएं प्रस्तुत की गयीं। बोर्ड ने सुझाव दिया कि :
   (क) समस्त परियोजनाओं के जाँच के लिए एक परियोजना मूल्यांकन समिति बनायी जाये।
   (ख) परियोजना प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत परियोजना दिशा–निर्देश तैयार किया जाये।
   (ग) परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा सभी प्रस्तुत परियोजना जाँचे जायेगें और उसकी उपयुक्तता और अनुपयुक्तता पर संस्तुति की जायेगी।
   (घ) सभी परियोजनाएं अध्यक्ष, राज्य जैव विविधता बोर्ड की सहमति प्राप्त होने के बाद अन्ततः बोर्ड द्वारा स्वीकृत होगीं।
6. परियोजना मूल्यांकन समिति के सदस्यों को मानदेय देने की स्वीकृति।
7. बोर्ड के विधि सलाहकार को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति।

बोर्ड की पांचवी बैठक दिनांकित 10 मार्च, 2011 :

मुख्य मुद्दे :

1. बोर्ड को प्रस्तुत परियोजनाओं की पात्रता, परियोजना मूल्यांकन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व अनुदान जारी करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश को बोर्ड ने स्वीकृति दी।

2. बोर्ड ने निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की :–

1.	उत्तर प्रदेश की मत्स्य जैव विविधता के जर्मप्लाज्म का अन्वेषण, मूल्यांकन व प्रलेखन : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ है।
2.	उत्तर प्रदेश में कुकरबिट्स की जैव विविधता व इसके निहितार्थ का अन्वेषण व प्रलेखन : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था नरेन्द्र देव कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद है।
3.	उत्तर प्रदेश की इनवेजिव मत्स्य प्रजातियों का सूचीकरण, प्रभाव आंकलन व जोखिम संचार : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ है।
4.	उत्तर प्रदेश के लाइकेन की प्रगणना : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ है।
5.	उत्तर प्रदेश के झाँसी, ललितपुर, जालौन और महोबा जनपदों में गिद्धों की बसेरा और प्रजनन स्थलों का अनुश्रवण : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ है।
6.	उत्तर प्रदेश के घास मैदानों में पक्षी बंगाल फ्लोरिकन (हौबारोप्सिस बेंगालेन्सिस) की स्थिति व पर्यावास का आंकलन : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून है।
7.	उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की अन्डरयूटिलाइज्ड जंगली, खाद्य पौध संसाधनों की सचित्र संसाधन सूची का आंकलन व निर्माण : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ है।
8.	उत्तर प्रदेश के उभयस्थलचरी और सरीसृप जीवों की व्याख्या सहित रंगीन चेकलिस्ट तैयार करना : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ है।
9.	उत्तर प्रदेश की जैव विविधता डाटाबेस सूचना प्रणाली के विकास के लिए साहित्य सर्वेक्षण के माध्यम से दस्तावेजीकरण : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान, लखनऊ है।
10.	सूक्ष्मजीवी जैव विविधता का कम्पेन्डियम : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था एन.बी.ए.आई.एम. कुसमौर, मऊनाथ भंजन है।
11.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र में फसल उत्पादन और रक्षा में स्वदेशी प्रौद्योगिकी ज्ञान का उपयोग और अनुभव : इस परियोजना की क्रियान्वयन संस्था बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी है।

जन जैव विविधता पंजिका:

प्रदेश का पहला जन जैव विविधता पंजिका लखीमपुर–खीरी जनपद के सैदापुर देवकली गाँव का बनाकर पूरा किया गया। इसमें 310 प्रजातियों के पौध, जीव–जन्तु, मछलियां और कीट अंकित हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार इसे दो खण्डों में बनाया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की टीम (श्री राधेकृष्ण दूबे, स.व.स., श्री अशोक कुमार कश्यप, उ..व.रा., श्री के.के. तिवारी, उ.प्र. सि., श्री सन्तोष कुमार, व. द., श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, व.र.) द्वारा विशेष प्रयास कर यह सुनिश्चित किया गया कि यह मात्र प्रपत्रों की खानापूर्ति न हो अपितु प्रजातियों, भू–संरचना एवं लोगों के बारे में सर्वसमावेशी व्यापक प्रतिवेदन हो। बोर्ड के मार्गदर्शन के साथ स्थानीय लोगों ने भी इस पी.बी.आर. को बनाने में सहायता की। स्थानीय विद्यालयों को भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। आंकड़ों का संकलन समुदाय के ज्ञानी लोगों, समूह साक्षात्कार, विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्रीय अवलोकन तथा विद्यमान सरकारी अभिलेखों से किया गया।

इस रजिस्टर में स्थानीय वैद्य, हकीम परम्परागत चिकित्सकों की सूची के साथ–साथ कृषि जैव विविधता (फसल, फल, चारा, खरपतवार, नाशीजीव, पालतू जानवरों के बाजार, मृदा प्रकार), घरेलू जैव विविधता (फल, औषधि पौध, शोभाकारी, प्रकाष्ठ, पालतू जानवर व मछली) व वन्य जैव विविधता का विवरण दिया गया है।

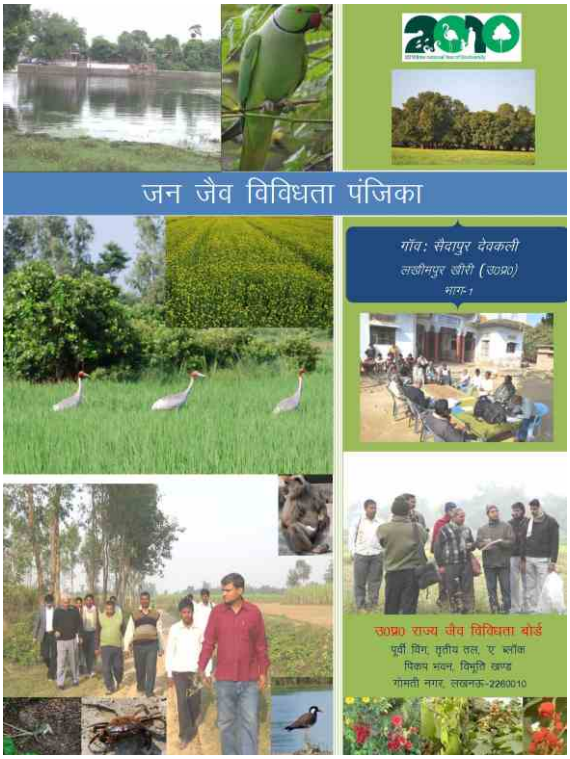

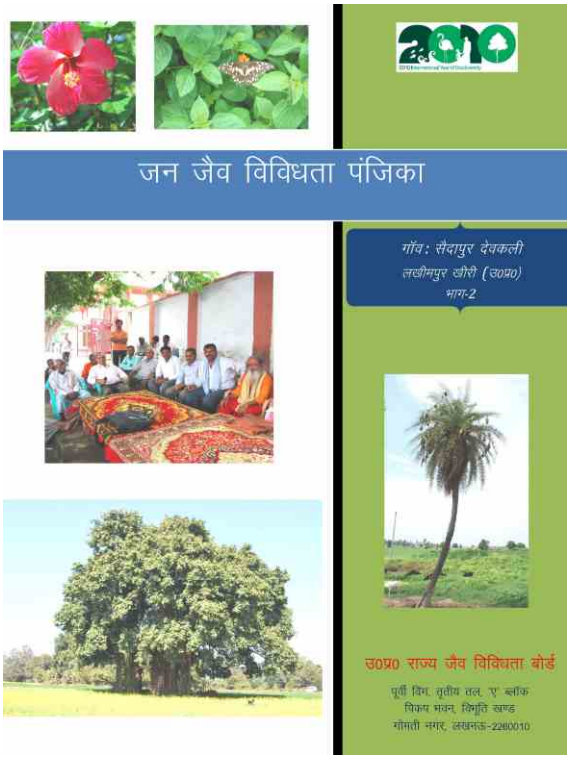

जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ

जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन:

उत्तर प्रदेश जैव विविधता नियमावली, 2010 के नियम– 21 के अनुपालन में जैव विविधता प्रबंधन समितियां ग्राम पंचायत सैदापुर देवकली (जिला लखीमपुर–खीरी), नानपारा देहात (जिला बहराइच), बैहार (जिला चित्रकूट धाम), भिटौली कलां (जिला बाराबंकी) में गठित की गई है। इस वर्ष बीएमसी के गठन का विवरण निम्न प्रकार है :

नानपारा देहात, जिला बहराइच

जैव विविधता प्रबंधन समिति, नानपारा देहात, का गठन दिनांक 07.12.2010 पर जैव विविधता अधिनियम के दिशानिर्देश, 2002 और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 के अनुरूप गाँव में आयोजित बैठक में किया गया था। समिति का गठन निम्नानुसार है:

1	अध्यक्ष	श्री ओमप्रकाश शर्मा	कांगड़न हाटा, नानपारा देहात, विकास खण्ड, बलहा
2	सदस्य	श्री शिवप्रकाश पोरवाल	शिवपुर रोड, नानपारा देहात
3	सदस्य	श्री श्याम लाल पटेल	हाकिम पुरवा, नानपारा देहात
4	सदस्य	श्री चेतराम पाण्डे	भज्जापुरवा, नानपारा देहात
5	सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति	श्री विनय भारती	भज्जापुरवा, नानपारा देहात
6	सदस्य महिला प्रतिनिधि	कु. आरती आर्य	कांगड़न हाटा, नानपारा देहात
7	सदस्य महिला प्रतिनिधि	कु. संयोगिता शर्मा	कांगड़न हाटा, नानपारा देहात

ग्राम बैठक नानपारा देहात

बैहार, जिला चित्रकूट

जैव विविधता प्रबंधन समिति, बैहार जिला चित्रकूट का गठन दिनांक 19.01.2010 को जैव विविधता अधिनियम के दिशानिर्देश, 2002 और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 के अनुरूप गाँव में आयोजित एक बैठक में किया गया था। समिति का गठन निम्नानुसार हैः

1	अध्यक्ष	श्री राम लखन	बैहार, ब्लॉक–कर्वी
2	सदस्य	श्री सुशील कुमार	बैहार, ब्लॉक–कर्वी
3	सदस्य	श्री मोहन लाल	बैहार, ब्लॉक–कर्वी
4	सदस्य	श्री बद्री	बैहार, ब्लॉक–कर्वी
5	सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति	श्री गोरे लाल	बैहार, ब्लॉक–कर्वी
6	सदस्य महिला प्रतिनिधि	श्रीमती सरोज	बैहार, ब्लॉक–कर्वी
7	सदस्य महिला प्रतिनिधि	श्रीमती राखी	बैहार, ब्लॉक कर्वी

भिटौली कलां, जिला बाराबंकी

जैव विविधता प्रबंधन समिति, भिटौली कलां, जिला बाराबंकी का गठन दिनांक 03.03.2011 को जैव विविधता अधिनियम के दिशानिर्देश, 2002 और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 के गाँव में आयोजित एक बैठक में किया गया था। समिति का गठन निम्नानुसार हैः

1	अध्यक्ष	श्रीमती पुष्पा यादव	भिटौली कलां
2	सदस्य	श्री बरसाती	डल्लू खेड़ा, मजरा–भिटौली कलां
3	सदस्य	श्री संतोष	डल्लू खेड़ा, मजरा–डल्लू खेड़ा
4	सदस्य	श्री राम सजीवन	डल्लू खेड़ा, मजरा भिटौली कलां
5	सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति	श्री संदीप	जरवा, मजरा–भिटौली कलां
6	सदस्य महिला प्रतिनिधि	श्रीमती सुनीता	भोजपुर, मजरा–भिटौली कलां
7	सदस्य महिला प्रतिनिधि	श्रीमती किरण देवी	जरवा, मजरा–भिटौली कलां

परियोजनाएं:

बोर्ड ने विभिन्न परियोजनाओं को प्रायोजित किया है। उनमें से एक गोरखपुर में जैव विविधता पार्क की स्थापना है।

गोरखपुर में जैव विविधता पार्क: यह पार्क तिलकोनिया रेंज, गोरखपुर वन प्रभाग में 100 हेक्टेयर के एक क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में साल वन की जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। इसके लिए 25 लाख रू0 की राशि प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर को निर्मुक्त की गयी है।

(अ) पूरी हुई परियोजनाएं:

लखनऊ और आस–पास के क्षेत्रों की वानस्पतिक विविधता, पुरातनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और अभिलेखीकरणः–

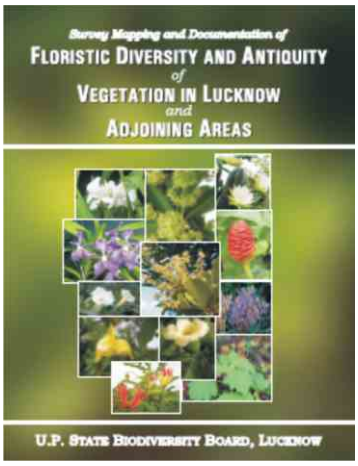

इस अध्ययन में फैनरोगेम्क की 143 कुल के 668 वंशों के 1299 प्रजातियों की संगठना की गयी है। इसी तरह आवृतबीजी की 143 कुल में से 63 कुल 1 वंश और 41 कुल 1 प्रजाति द्वारा प्रतिनिधित्वित हैं। फैनरोगेम की 1299 प्रजातियों में से 84 प्रतिशत (1089 प्रजातियां) द्विबीजपत्री हैं तथा 16 प्रतिशत (210 प्रजातियां) एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री के दो कुलों पोएसी (86 प्रजाति) और साइपरेसी (70 प्रजाति) की सम्मिलित संख्या एकबीजपत्री की कुल संख्या का 74.28 बनाती हैं। द्विबीजपत्री की मुख्य कुल हैं– फैबेसी, एस्टरेसी, रूबिऐसी, यूफारबिएसी, मालवेसी, स्क्रोफुलैरिएसी, सिसलपिनी और एकेन्थेसी।

अध्ययन में वर्णित टैक्सा

टैक्सा	कुल संख्या
कुल	143
वंश	686
प्रजाति	1299

इसके पूर्व सिंह और खनूजा द्वारा फ्लोरा आफ लखनऊ का संकलन 2006 में किया गया था। इन दोनो फ्लोरा के बीच के अन्तर को देखना रोचक होगा, जो निम्नप्रकार हैः–

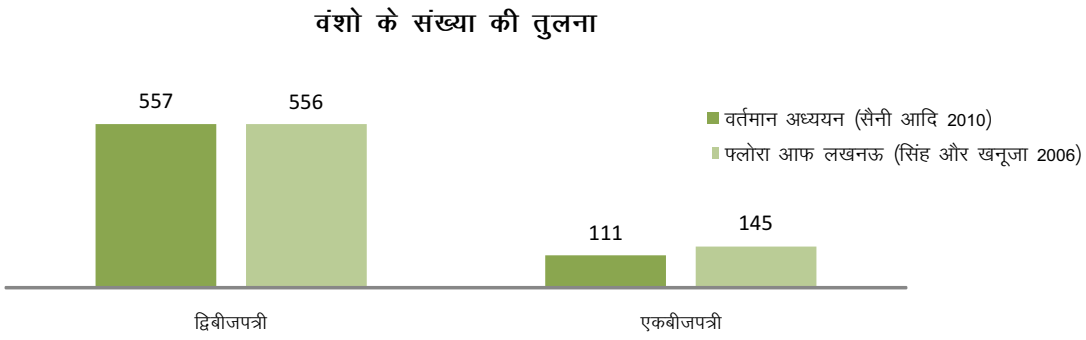

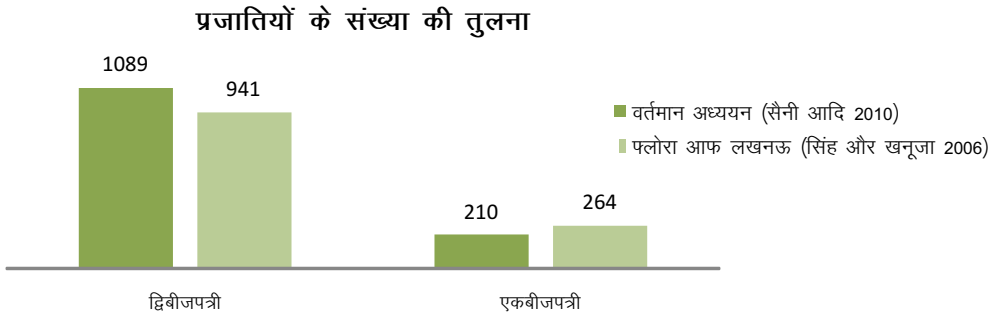

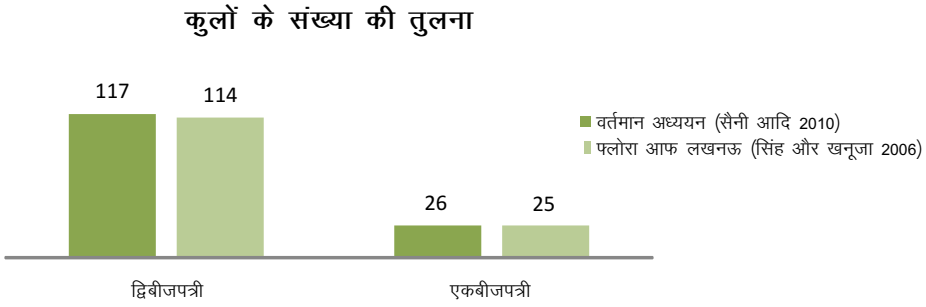

वंशो के संख्या की तुलना

प्रजातियों के संख्या की तुलना

कुलों के संख्या की तुलना

सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले कुल हैंः— फैबेसी, पोएसी, साइपरेसी, रूबिएसी, यूफारबिएसी, मालवेसी, स्क्रोफुलैरिएसी, सिसलपिनीएसी, एकेन्थेसी और 1 कुकरबिटेसी। इस रिपार्ट में शीर्ष प्रतिनिधित्व करने वाले 10 जेनेरा इस प्रकार हैः साइपरस (30), आइपोमिया (14), यूफारबिया (13), फ्रिमब्रिस्टाइलिश (12), हिबिस्कस (11), कैसिया (10), सोलेनम (9), इरैग्रोस्टिस (8), साइडा (7), क्लीरोडेन्ड्रम (6)।

(ब) जारी परियोजनाः

''कुकरैल वन की सूक्ष्मजीवी विविधता का आधार रेखीय सर्वेक्षण और मानचित्रीकरण '' शीर्षक की एक परियोजना पर इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसमें अब तक कुकरैल वन के मृदा नमूनों के विविध आइसोलेटस में से 9 बैक्टीरियल स्टेन का आइसोलेशन व पहचान बायोकेमिकल और मालीक्यूलर कैरेक्टराइजेशन द्वारा किया गया।

(स) नयी परियोजनाएं:

वर्ष 2010–11 में निम्न परियोजनाएं स्वीकृत की गईं –

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना की कुल लागत (लाख रु. में)
1	उत्तर प्रदेश की मत्स्य जैव विविधता के जर्मप्लाज्म का अन्वेषण, मूल्यांकन व प्रलेखन	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ	14.52
2	उत्तर प्रदेश में कुकरबिट्स की जैव विविधता व इसके निहितार्थ का अन्वेषण व प्रलेखन	नरेन्द्र देव कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद	10.856
3	उत्तर प्रदेश की इनवेजिव मत्स्य प्रजातियों का सूचीकरण, प्रभाव आंकलन व जोखिम संचारण	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ	14.99
4	उत्तर प्रदेश के लाइकेन की प्रगणना	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	7.912
5	उत्तर प्रदेश के झॉसी, ललितपुर, जालौन और महोबा जनपदों में गिद्धों के बसेरा और प्रजनन स्थलों का अनुश्रवण	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	5.20
6	उत्तर प्रदेश के घास मैदानों में पक्षी बंगाल लोरिकन (हौबारोप्सिस बेंगालेन्सिस) की स्थिति व पर्यावास का आंकलन	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	14.74
7	उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की अन्डरयूटिलाइज्ड जंगली, खाद्य पौध संसाधनों की सचित्र संसाधन सूची का आंकलन व निर्माण	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	9.425
8	उत्तर प्रदेश के उभयचरी और सरीसृप जीवों की व्याख्या सहित रंगीन चेकलिस्ट तैयार करना	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	3.50
9	उत्तर प्रदेश की जैव विविधता डाटाबेस सूचना प्रणाली के विकास के लिए साहित्य सर्वेक्षण के माध्यम से पादप विविधता का अभिलेखीकरण	बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान, लखनऊ	12.706
10	सूक्ष्मजीवी जैव विविधता का कम्पेन्डियम	एन.बी.ए.आई.एम. कुसमौर, मऊनाथ भंजन	3.35
11	पूर्वी उत्तर प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र में फसल उत्पादन और रक्षा में स्वदेशी प्रौद्योगिकी ज्ञान का उपयोग और अनुभव	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	10.40

अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस :

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 22.05.2010 को डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आई.डी.बी.–2010) मनाया गया। इस अवसर पर ''जैव विविधता विकास और गरीबी उन्मूलन'' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्टी का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न शोध संस्थाओं/संस्थानो, विश्वविद्यालयों, उ०प्र० राज्य एवं अन्य राज्यों के वन विभाग के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करते हुए 450 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इस संगोष्ठी का उद्घाटन पद्मश्री डॉ० पी. पुष्पांगदन, महानिदेशक, एमिटी इन्स्ट्टियूट फार हर्बल एण्ड बायोटेक प्रोडेक्टस डेवलेपमेन्ट, तिरूवनन्तपुरम, केरल द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया –

वन विभाग जैव विविधिता के संरक्षण के साथ–साथ वन्य संपदा और प्राणि जगत के संरक्षण संबंधी विभिन्न परियोजनओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वन सीमा में और उसके निकट रहने वाले स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार, जैव विविधता संरक्षण केवल निर्वहनीय विकास और पृथ्वी पर विद्यमान जैव संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।

अपने स्वागत भाषण मे डॉ० पुष्पांगदन ने कहा कि तीव्र और अविनियमित शहरीकरण से जीवन के पारम्परिक तरीकों को खतरा हो रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है क्योंकि उद्योगों, समुदायों, अनुसंधान करने वाली संस्थाओं में परस्पर समझदारी और तालमेल की कमी है। यह समय है जब अपने जैव विविधता को बचाया जाना अति आवश्यक है । जैव विविधता सम्पन्न धनी देशों यथा कैरिबियन, फिलिपीन्स, श्रीलंका और भारत के पश्चिमी घाटों सदृश विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट का अधिकांश प्रभाव पड़ना अनुमानित है।

प्रमुख सचिव (वन) एवं अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य जैव विविधता बोर्ड ने अपने वक्तव्य में कहा कि जैव विविधता हमारी जीविका से सीधे सम्बद्ध है। अस्तु, जैव विविधता के निर्वाह योग्य उपयोग हेतु प्राथमिकता के आधार जैव विविधता का संरक्षण करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर बोलते समय उ०प्र० राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव ने कहा कि संरक्षित वनों की उपान्तिक सीमा में रहने वाले, जैव विविधता से सम्पन्न क्षेत्रों तथा सोनभद्र में जनजातीय क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को जैव विविधता के महत्व से अवगत कराया जाएगा। जैव विविधता के ह्रास से जलीय–चक्र तथा भूमि (मृदा) की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव के कारण कृषि पर इसका सीधा कुप्रभाव पड़ता है। इसके कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतवास तथा पशुधन के लिए चारे की भी कमी होती है।

अपर महानिदेशक पुलिस, उ०प्र० ने अपने वक्तव्य में कहा कि वनों के किनारे रहने वाले ग्रामीणों/जन जातीय लोगों को जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में भागीदार बनाने के साथ ही उनमें जागरूकता लाने की नितान्त आवश्यकता है। पारंपरिक खाद्य प्रजातियों को, जो कि समाप्ति के कगार पर हैं, जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोगों की गरीबी दूर करने और उनके कल्याण के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।

कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने उद्बोधन में बताया कि हमारे पास पारंपरिक औषधियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि से सबन्धित पर्याप्त साहित्य विद्यमान है। समय की मांग है

कि इनके निर्वाह योग्य एवं स्थिर विकास के लिए इनको विधिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाय। उद्घाटन सत्र में संगोष्ठी के विषय से संबंधित 168 पृष्ठों की स्मारिका का भी विमोचन किया गया जिसमें चालीस लेख हैं।

संगोष्ठी के प्रथम तकनीकी सत्र में निदेशक, जूलोजिक सर्वे आफ इण्डिया ने अपने वक्तव्य में वंश प्ररूप (जेनेटिक), जीव–संघटना (आरगेनिस्म) तथा पारिस्थितिकी तंत्र सम्बन्धी संसाधनों को सम्मिलित करते हुए जैव संसाधनों के निर्वहनीय एवं स्थिर विकास पर विचार प्रस्तुत किये। इसके साथ ही वंश–प्ररूपीय, प्रजातीय तथा पारिस्थितकीय विविधता का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इस बात पर बल दिया कि हमें जैव विविधता की सुरक्षा हेतु रणनीति विकसित करनी चाहिये, यदि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं और स्थायी विकास चाहते हैं। निर्वहनीय एवं स्थिर विकास प्राप्त करने के लिए जैव विविधता आधारभूत है। फसलों तथा पशुजगत की वंश–प्ररूपीय विविधता के ह्रास के द्वारा जैव विविधता की हानि, और वन्य जीव संसाधनों की घटती हुए उपलब्धता से गरीबों के लिए खाद्य एवं जीविका की सुरक्षा को खतरा है। वंश–प्ररूपीय संसाधनों (वनस्पति, पशुओं या सूक्ष्म अवयवों संबंधी) तक स्थानीय पहुंच तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का साम्यपूर्ण बंटवारा, जैव विविधता के निर्वहनीय उपयोग तथा गरीबी उन्मूलन एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। वंश प्ररूपीय संसाधनों के अनुसंधान, रूपान्तरण या व्यवसायीकरण/ वाणिज्यीकरण से उद्भूत लाभों को उन लोगों के साथ समान रूप से बांटना चाहिए जिन लोगों ने संसाधनों को संरक्षित रखा है तथा उनके लाभों के स्वदेशी ज्ञान का उपयोग किया है।

वैज्ञानिक, जूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, चैन्नै ने अपने अतिथि भाषण में भारत में जैव विविधता तथा उसके संरक्षण में उभरती संभावनाओं पर चर्चा की गई। देश के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों तथा जैव–भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया। बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या की पोषण की आवश्यकता तथा जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के निर्वाहयोग्य उपयोग का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया। इसके अलावा उन्होनें वनस्पति जगत् एवं प्राणि जगत की संकटापन्न प्रजातियों के अंर्तराष्ट्रीय व्यापार, सी.बी.डी. की भूमिका तथा जैव विविधता अधिनियम में प्रमुख विनियामक परिवर्तन की बात को रेखांकित किया।

नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी के विधि–सलाहकार ने अपने उद्बोधन में जैव विविधता के संरक्षण एवं निर्वाह योग्य विकास पर अंर्तराष्ट्रीय चिंतन तथा भारत की जैव विविधता प्रोफाईल और जैव विविधता अधिनियम, 2002 द्वारा उसके अनुवर्तन का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। विकास और गरीबी उन्मूलन के सम्बन्ध में राज्य में जैव संसाधनों की पहचान करने; औद्योगिक उपयोग तथा राज्य से आपूर्ति को चिन्हित करने; उद्योगों को सीधे जैव संसाधनों की आपूर्ति की प्रक्रिया चिन्हित करने; समुदायों/लोगों द्वारा स्थानीय उपयोग पहचानने; राज्य अनुसंधान संस्थाओं की जानकारी को विधिमान्य करने; आई.पी. संरक्षण की संभावना की पहचान करने; इन आई.पी. को उद्योगों को लाइसेंस–अनुबंधों के माध्यम से विपणन करने की आवश्यकता है। नेशनल प्रोफेसर, आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली ने अपने वक्तव्य में जीनोमिक्स की भूमिका और राईस जर्मप्लास्म संसाधन में नवीन जीनों की खोज पर प्रकाश डाला गया।

टीम लीडर, निप्पन कोएई कं. लि, टोक्यो, जापान, तथा यू.पी.पी.एफ.एम.पी.ए.पी. हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने अपने वक्तव्य में 'उ.प्र. भागीदारी वन प्रबंधन तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना' नामक परियोजना के उद्देश्यों तथा विभिन्न संघटकों के बारे में बताया। जैव विविधता के मुख्य स्थलों, इकोटूरिज्म विकास, संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन तथा सामुदायिक विकास और जीविका संरक्षण जैसे इको–डेवलेपमेंट क्रिया–कलापों के बारे में भी बताया गया।

पारिस्थितकी प्रणाली के सिद्धान्तों से मिले ज्ञान को व्यष्टि/समाज के संगठन तथा आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन में उपयोग किया जाना चाहिए। हमें अमीर एवं गरीब, सुपोषित एवं कुपोषित, बाजारीय एवं गैर बाजारीय माल और सेवाएं तथा शिक्षित एवं अशिक्षितों के बीच के अंतर को घटाने की आवश्यकता है।

आक्रामक पौध प्रजातियों की उपस्थिति, चुनौतियां ; इकोटूरिज्म की गुणवत्ता/परिमाण, पर्यावरण सम्बन्धी गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और सिक्किम की संकटापन्न जैव विविधता के सम्बन्ध में 'अवेयरनेस जेनरेशन, नेशनल एन्वरान्मेंट कैम्पेन आयोजन जैस कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया।

''मास नेस्टिंग एंड कन्जरवेशन आफ ओलिव रिडले सी टरटल–एन यूनिक बायोडाईवर्स स्पीशीज आफ उड़ीसा'' विषयक प्रस्तुतीकरण में उड़ीसा राज्य में विद्यमान प्रचुर जैव विविधता का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। वहां 2754 पादप प्रजातियां हैं जिनमें से 29 स्थान विशेष की (इन्डेमिक) हैं। इसके अतिरिक्त, 120 एन.टी.एफ.पी. प्रजातियां, 36 मैनग्रोव प्रजातियां, 100 से अधिक औषधीय प्रजातियां तथा 144 दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं। लेदर बैक सी टरटल, जो सबसे बड़ी प्रजाति है और जिसकी औसत लम्बाई 3.7 मीटर है, तथा केम्प रीडले सी टरटल जो कि सबसे छोटा कछुआ है और दूसरा सबसे छोटा ओलिव रिडले सी टरटल के विषय में प्रकाश डाला गया। ओलिव रिडले सी टरटल पर मंडराते खतरे पर तथा उसके संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता और इसके लिए रणनीति बनाने की बात पर बल दिया। जैव विविधता संरक्षण पर एक लोकगीत प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अंर्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता विषय पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें विंध्य, बुंदेलखंड तथा तराई क्षेत्र के जनजातीय लोगों द्वारा इन क्षेत्रों की पारंपरिक औषधियों का प्रदर्शन किया गया। जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी थी जिसमें विजेताओं को पुरस्कार तथा स्मारक भी दिये गये।

जनजागरुकता कार्यक्रम :

1. आर्बर दिवस समारोह (06 सितम्बर, 2010):

आर्बर दिवस वह दिन है जो लोगों को पेड़ लगाने व उसकी देखभाल करने को प्रोत्साहित करता है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने लखनऊ के विविध स्कूलों के विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों में चित्रकला प्रतियोगिता व पौध विविधता ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं में 600 से अधिक बच्चों ने भाग लिया जिनका मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया गया। विजेताओं को प्रमाण–पत्र व स्मृति चिन्ह् दिये गये। विभिन्न श्रेणियों के 46 बच्चों को पुरस्कार वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त 250 तुलसी के पौधे नर्सरी सेक्शन के बच्चों में बॉटे गये।

2. विश्व वन्यजीव सप्ताह (01–07 अक्टूबर, 2010):

वन्य जीवों के संरक्षण और इसके महत्व के प्रति छात्रों में जागरूकता लाने के लिए बोर्ड द्वारा विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर निबन्ध और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। निबन्ध और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजन के सम्बन्ध में सूचना लखनऊ नगर के 20 स्कूलों और 08 कालेजों में की गयी और 04 अक्टूबर 2010 तक प्रविष्टियां आमन्त्रित की गयीं।

सभी श्रेणी के बच्चों (कक्षा 06 से स्नातक तक) के लिए अंग्रेजी में निबन्ध का विषय था ''इम्पार्टेन्स आफ बायोडाइवर्सिटी कन्जरवेशन'' तथा हिन्दी निबन्ध का विषय था ''जैव विविधता संरक्षण का महत्व''। पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता कक्षा 9,10 व स्नातक विद्यार्थियों के लिए खुली थी। प्रतियोगिता का विषय था ''आवर डाइवर्स वाइल्डलाइफ'' (अंग्रेजी में), ''हमारे विविध वन्यजीव'' (हिन्दी में)। 41 कालेजों के कुल 126 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें 38 बच्चों को पुरस्कृत किया गया।

वन्यजीव सप्ताह प्रतियोगिता 2010 में पुरस्कार जीतने वाले पोस्टर : कक्षा 9 व 10

प्रथम पुरस्कार, चित्रा विश्वकर्मा, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

प्रथम पुरस्कार, नेहा, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

द्वितीय पुरस्कार, श्वेता पटेल, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

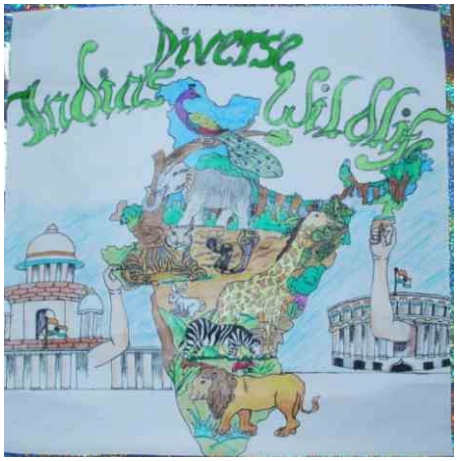

तृतीय पुरस्कार, साक्षी शुक्ला, माडर्न अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ

सांत्वना पुरस्कार, मेघना, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

वन्यजीव सप्ताह प्रतियोगिता 2010 में पुरस्कार जीतने वाले पोस्टर : स्नातक छात्र

प्रथम पुरस्कारः श्रेया मिश्रा, वनस्पति विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

द्वितीय पुरस्कारः फरहान अतीक, प्लान्ट साइंस, लखनऊ विश्वविद्यालय

तृतीय पुरस्कारः शिखा गुप्ता, वनस्पति विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

सांत्वना पुरस्कारः सौरभ मिश्रा, वनस्पति विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

3. विश्व वेटलैंड दिवस आयोजन :

इस वर्ष के वेटलैंड का विषय था '' जल और वेटलैंड के लिए जंगल''। इस अवसर पर कक्षा 05–12 के बच्चों के मध्य निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गयी। निबन्ध का विषय था ''वेटलैंड संरक्षण का उत्तर प्रदेश में महत्व'' स्नातक बच्चों के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का विषय था ''जल और वेटलैंड के लिए जंगल– महत्व वर्तमान उपयोग और वेटलैंड संरक्षण में चुनौतियां''। वरिष्ठ वर्ग के बच्चों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का विषय था ''जल और वेटलैंड के लिए जंगल''। 23 मेधावी बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 27

जनवरी 2011 को कक्षा 4 के 119 बच्चों के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया गया। दिनांक 28 जनवरी, 2011 को कक्षा 5 के बच्चों के लिए भी क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया गया। टर्टिल सर्वाइवल एलायन्स ने इस अवसर पर बच्चों को कलरिंग पुस्तकें उपलब्ध करायीं।

विश्व वेटलैंड दिवस 2011 के अवसर पर नवाबगंज पक्षी विहार में कछुआ रंगते हुए बच्चे

रंग भरो पुस्तिका – आभारः टर्टिल सर्वाइवल एलायन्स

विश्व वेटलैंड दिवस में पुरस्कार जीतने वाले पोस्टर, विषय: जल और वेटलैंड के लिए जंगल: श्रेणी : कक्षा 9 से 12

प्रथम पुरस्कार, चित्रा विश्वकर्मा, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

सांत्वना पुरस्कार, कृतिका मोदी, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

द्वितीय पुरस्कार, आकृति पाल, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

तृतीय पुरस्कार, चंदा सिंह, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल, लखनऊ

सांत्वना पुरस्कार, रिशु राय, एचएएल, स्कूल, फैजाबाद रोड, लखनऊ

सांत्वना पुरस्कार, सरिता निषाद, टी.डी. गर्ल्स इंटर कालेज, गोमती नगर, लखनऊ

श्रेणी : वरिष्ठ

1. प्रथम पुरस्कार, आनन्दिता सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
2. द्वितीय पुरस्कार, रूचि सक्सेना, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
3. तृतीय पुरस्कार, आकांक्षा, शिया पी.जी. कालेज, लखनऊ

विश्व गौरैया दिवस (20 मार्च 2011): आस–पास की आम जैव विविधता का आयोजन:

घरेलू गौरेया शायद पहला पक्षी है जो आप अपने बचपन के समय से जानते हैं। यह गौरैया परिवार–पैसरिडे की पैसरिन पक्षी की एक प्रजाति है। इसके ऊपर मुख्यतः भूरे और ग्रे रंग के पंख होते हैं। ये पक्षी अनाज तथा कीड़ों को खाते हैं। इसे हिन्दी में गौरैया तथा उर्दू में चिड़िया कहते हैं। दुर्भाग्यवश, गौरैया अब लुप्तप्राय प्रजाति होती जा रही है। सभी अन्य पादप और प्राणियों की भांति, जो कभी बहुतायत में थे, आज ये भी एक अनिश्चित भविष्य में जी रहे हैं। विश्व गौरैया दिवस का आयोजन सम्पूर्ण विश्व में दिनांक 20 मार्च को किया जाता है जिससे लोगों में इस जीव की घटती संख्या तथा अपने अस्तित्व के लिए इस प्रजाति के नित्य संघर्ष के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इस दिवस का आयोजन मात्र एक दिन की खानपूर्ति के लिए नही, अपितु गौरैया के साथ–साथ शहरी जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए एक आधार के रूप में किया जाता है।

इसके लिए अखबारों के माध्यम से लोगों से आग्रह किया गया था कि लोग 20 मार्च 2011 को प्रातः 07.00 से 07.30 बजे के बीज गौरेया को देखें और उनकी संख्या बोर्ड के ईमेलः upstatebiodiversityboard@gmail.com पर सूचित करें। रंगों का त्यौहार होली होने के बावजूद बहुत से लोगों ने नगरीय जैव विविधता जागरण के इस अभियान में भाग लिया जो उत्साहवर्धक था।

मानव संसाधन विकास :

बोर्ड के अधिकारियो और कर्मचारियों ने वर्ष भर में आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों और प्रशिक्षणों में भाग लिया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. लखीमपुर खीरी जनपद के पारंपरिक चिकित्सकों से पारंपरिक चिकित्सा और इसके सम्बद्व ज्ञान से लाभ का साझा तन्त्र विकसित करने के लिए बोर्ड के श्री राधेकृष्ण दूबे, सहायक वन संरक्षक, श्री अशोक कश्यप, उप वन राजिक, श्री के.के. तिवारी, उप प्रबन्धक (सिस्टम) और श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, वन रक्षक ने लखीमपुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत् विविध प्रकार के परम्परागत चिकित्सकों से सम्पर्क का कार्य दिनांक 13 व 14 अप्रैल 2010 को किया।

2. डॉ० राम जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने दिनांक 17 अप्रैल 2010 को एन.बी.पी.जी.आर., पूसा, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ''ग्लोबल कार्ययोजना की कार्यान्वयन की निगरानी के लिए साझा जानकारी तन्त्र की स्थापना'' में भाग लिया।

3. श्री पवन कुमार, सचिव, उ०प्र० राज्य जैव विविधता बोर्ड ने दिनांक 22 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा चेन्नई में आयोजित ''जैव विविधता संरक्षण–लाभ वितरण तन्त्र'' पर आयोजित कार्यशाला/बैठक में भाग लिया।

4. विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2010 के अवसर पर नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ के भूगोल विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला ''जलवायु परिवर्तन, शहरी प्रदूषण संकट और बायो–रिमेडिएशन'' में डॉ० राम जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अतिथि वक्ता के रूप में भाग लिया।

5. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नै द्वारा दिनांक 16–18 जून 2010 को दिल्ली में आयोजित जैव विविधता संरक्षण पर आयोजित ''ब्रेन स्टार्मिंग मीटिंग'' में श्री राधेकृष्ण दूबे, सहायक वन संरक्षक व डॉ० राम जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने भाग लिया।

6. दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा सी.ई.एम.डी.ई. की संयुक्त परियोजना के रूप में विकसित अरावली बायोडाईवर्सिटी पार्क का अध्ययन भ्रमण डॉ० राम जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा 30.07.2010 को किया गया। इस पार्क का विकास एक सुदर भूदृश्यावली के रूप में हो रहा है जो कि प्राकृतिक संग्रहालय के प्रयोजनों की भी पूर्ति करेगा। यहां अनेक जैविक (बायोटिक) समुदायों को पुनः स्थापित के रूप में विकसित किया जा रहा है जो पूर्व में अरावली पर्वतों में पाये जाते थे। यह पार्क पारिस्थितिकीय सेवाओं के साथ–साथ छात्रों/शोधकर्ताओं को अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायक होगा।

7. दिनांक 28 अगस्त 2010 को आई.आई.टी., रुड़की के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा दिनांक 25.08.2010 से 28.08.2010 की अवधि में आयोजित ''ऊर्जा सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी'' प्रशिक्षण सत्र में डॉ० राम जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने 'रसायनों और रासायनिक उत्पादों का पारिस्थिकीय प्रभाव मूल्यांकन' विषय पर अतिथि उद्बोधन दिया तथा सत्रान्त पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षुओं को प्रमाण–पत्र प्रदान किये।

8. पंजाब जैव विविधता बोर्ड, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नै द्वारा दिनांक 6–8 सितम्बर, 2010 तक चण्डीगढ़ में आयोजित छठीं राज्य जैव विविधता बोर्ड मीटिंग में श्रीमती प्रतिभा सिंह, उप वन संरक्षक ने भाग लिया।

   तकनीकी सत्रों में निम्नलिखित पर विचार व्यक्त किया गया :–

   1. पी.बी.आर. की तैयारी
   2. कतिपय प्रयोजनों हेतु (धारा–7 और 24) जैव संसाधन प्राप्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड की पूर्वानुमति
   3. राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा वेबसाइटों की होस्टिंग
   4. बी.एम.सी. का गठन और प्रशासन
   5. जैव विविध प्राचीन (हेरिटेज) स्थलों (धारा–37) और संकटग्रस्त प्रजातियों (धारा–38) की पहचान करना तथा अधिसूचना
   6. जैव विविधता अधिनियम, 2002 का प्रर्वतन तथा राज्यों द्वारा नियमावली बनाया जाना
   7. राष्ट्रीय जैव विविधता निधि, राज्य जैव विविधता निधि तैयार करना तथा पृथक लेखों का अनुरक्षण
   8. कॉप–11 वर्ष 2012 की तैयारी

9. श्रीमती प्रतिभा सिंह, उप वन संरक्षक तथा श्री आर.के. दूबे, सहायक वन संरक्षक ने तीन मूर्ति भवन में 09.09. 2010 को टीब अर्थात–द स्टडी आन द इकोनोमिक्स आफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। स्थानीय तथा क्षेत्रीय नीति निर्माताओं के लिये यह व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता की हानि चुनौती से कैसे निपटा जाय। यह भी परीक्षण करना है कि प्राकृतिक संसाधन के उपयोग और प्रबंधन, जैव विविधता का अनुरक्षण और समर्थन, स्थानीय क्षेत्रीय शहरी और देशिक अभिकल्पना के सम्बन्ध में स्थानीय सरकारें क्या कर सकती हैं।

10. एन.बी.आर.आई., लखनऊ और इंटरनेशनल सोसाइटी आफ इन्वरान्मेन्टल बोटेनिस्ट (आई.एस.ई.वी.) द्वारा संयुक्त रूप से लखनऊ में दिनांक 08–11 दिसम्बर, 2010 को आयोजित चतुर्थ पौध और पर्यावरणीय प्रदूषण (आई.सी.पी.ई.पी.–4)पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के डॉ० राम जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने भाग लिया और ''क्लाइमेट चेन्ज, अरबन इन्वरान्मेन्टल क्राइसिस एण्ड बायोडाइवर्सिटी–एन ओरवव्यिू'' विषयक अपना प्रस्तुतीकरण किया।

11. दिनांक 26–30 दिसम्बर, 2010 को तिरूवनन्तपुरम में केरल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड द्वारा आयोजित भारतीय जैव विविधता कांग्रेस में श्री अशोक कश्यप, उप वन राजिक ने भाग लिया।

12. दिनांक 14–18 अक्टूबर, 2010 में श्री राधेकृष्ण दूबे, सहायक वन संरक्षक ने स्थानीय वैज्ञानिकों डॉ० ए.के. श्रीवास्तव (विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, एम.जी.पी.जी. कालेज, गोरखपुर), डॉ० आर.पी.सिंह (सहयुक्त प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, एस.जी.पी.जी. कालेज, शोहरतगढ़), डॉ० डी.एस. मिश्रा (विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, इस्लामिया पी.जी. कालेज, गोरखपुर) के साथ गोरखपुर बायोडाइवर्सिटी पार्क का भ्रमण किया। इस क्रम में करमहा गाँव से पनियाला (फ्लैकोरशिया जैन्गोमास) के सम्बन्ध में विविध प्रकार की जानकारियां एकत्रित की गईं।

फोटो : वासुदेवी फल से लदे अपने पनियाला वृक्ष के साथ

13. शोहरतगढ़ इन्वॉयरान्मेंटल सोसाइटी, सिद्धार्थनगर, उ०प्र० और शिवपति पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज, शोहरतगढ़ के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 21 फरवरी, 2011 को ''जैव विविधता की प्रास्थिति–वैश्विक चिन्ता का विषय'' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉ० राम जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अतिथि उद्बोधन दिया। उद्बोधन का विषय था ''क्लाइमेट चेन्ज एण्ड बायोडाइवर्सिटी स्टेटस–मेजर इन्वायनरमेन्टल इशूज''। इस अवसर पर स्मारिका/सारांश भी जारी किये गए।

14. ए.पी. शिंदे सिम्पोसियम हाल, एन.ए.एस.सी., पूसा, नई दिल्ली मे ''स्टेकहोल्डर–कन्सल्टेशन' बैठक में श्रीमती प्रतिभा सिंह, उप वन संरक्षक ने भाग लिया। इसमें भारत में जैव विविधता वित्त पोषण, टीब परिचय–हरिप्रिया गुडींमेडा द्वारा, टीब–दृष्टिकोण –डॉ० मधु वर्मा और जोखिम धारकों (स्टेकहोल्डर्स) हेतु टीब की प्रांसगिकता पर श्री पवन सुखदेव द्वारा चर्चा की गई।

15. सी.पी.आर. इन्वॉयरनमेन्टल एजुकेशन सेन्टर द्वारा दिनांक 12–14 फरवरी, 2011 को चेन्नई में ''स्थानीय जैव विविधता संरक्षण के लिए सेक्रेड गोव्स का संरक्षण'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री राधेकृष्ण दूबे, सहायक वन संरक्षक ने भाग लिया।

    कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आर. सुंदराजु, भारतीय वन सेवा, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, तमिलनाडु द्वारा किया गया। डॉ० पी०एस० राम कृष्णन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जे०एल०एन० विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा मुख्य भाषण दिया गया। सम्मेलन के दौरान 'सक्रेड ग्रोव्स' के विशिष्ट मुद्दों पर 38 प्रख्यात वक्ताओं ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये।

16. श्री आर०के० दूबे, सहायक वन संरक्षक द्वारा अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, महाराजगंज और गोरखपुर वन प्रभागों का दिनांक 26 एवं 27.01.2011 का अध्ययन भ्रमण किया गया जिसका उद्देश्य जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन तथा उक्त क्षेत्रों में सेक्रेड ग्रोव्स' यदि हों, के पुष्पीय विविधता का अध्ययन करना था।

17. श्री राधेकृष्ण दूबे, सहायक वन संरक्षक और श्री अशोक कश्यप, उप वन रेंजर ने 29–30 जनवरी, 2011 को चित्रकूट फारेस्ट डिवीजन में जैव विविधता प्रबंध समिति बनाने और सेक्रेड ग्रोव्स की वानस्पतिक विविधता का (यदि कोई हो), का अध्ययन करने की दृष्टि से ग्राम का चयन करने के लिए अध्ययन भ्रमण किया।

प्रकाशन:

1. डी.सी.सैनी, एस.के. सिंह और कमलेश राय द्वारा **''बायोडाइवर्सिटी आफ अक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक प्लान्टस आफ उत्तर प्रदेश''**।

इस प्रकाशन में पूर्वी उ०प्र० में वेटलैंड जैव विविधता को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसमें 'हाइड्रोफाइट्स' के अध्ययन हेतु आवश्यक बिन्दुओं को आच्छादित किया गया है और यह संबधित कुल से सुगम पहचान के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इसमें सम्मिलित विषयों में क्षेत्र के सामान्य तत्व, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा तथा नदियों के स्वतः स्पष्ट एवं सुंदर नक्शे भी सम्मिलित हैं। जलीय एवं अर्धजलीय पौधों के विभिन्न वास स्थलों को श्रेणीबद्ध किया गया है। आक्रमणकारी परदेशीय प्रजातियों के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए एक अलग अध्याय में कुछ संकटापन्न एवं विदेशज पौधों, जो स्थानीय पौधों के लिए नुकसानदेह हैं, की सूची दी गई है।

इस पुस्तक के मुख्य अध्यायों में फेनेरोगाम्स और वास्कुलर क्रिप्टोगाम्स का विवरण 547 सुंदर चित्रों सहित दिया गया है जिसमें 432 वंश की 751 प्रजातियां, 16 कुलों को मिलाकर फेनेरोगाम्स 114 कुल, वास्कुलर क्रिप्टोगाम्स की 25 प्रजातियां और 18 वंश समाविष्ट हैं। एन्जियोस्पर्म के 98 कुलों में 45 कुल एक वंश द्वारा प्रतिनिधित्व किये गए हैं, 7 कुलों का प्रतिनिधित्व दो प्रजातियों द्वारा, तथा शेष 10 कुलों का प्रतिनिधित्व दो से अधिक प्रजातियों द्वारा किया गया है। शेष 53 कुलों का प्रतिनिधित्व एकाधिक वंश द्वारा किया गया है।

पुस्तक में वर्णित पादप विविधता का सॉंख्यिकीय सारांश

समूह	कुल	वंश	प्रजाति
फेनेरोगाम्स			
डाईकॉट		309 (71.36%)	527 (70.31%)
मोनोकॉट		105 (24.2%)	199 (26.36%)
योग	98	414	726
वास्कुलर क्रिप्टोगाम्स	16	18 (4.39%)	25 (3.33%)
महायोग	114	434	751

फेनरोगाम्स व क्रिप्टोगाम्स में कुल और वंश

	कुल	प्रजाति
I. **फेनेरोगाम्स**	98 (85.96%)	726 (96.67%)
ii. **वास्कुलर क्रिप्टोगाम्स**	16 (14.04%)	25 (3.33%)

फेनेरोगाम्स की कुल 726 प्रजातियों में 70.31 प्रतिशत (527 प्रजातियां) द्विबीजपत्री हैं और 26.36 प्रतिशत (199 प्रजातियां) एक बीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री के 527 प्रजातियों का विवरण 73 परिवारों के 309 वंश में किया गया है। एक बीजपत्री वर्ग में, दो कुल– पोएसी (79 प्रजातियों सहित) और साइपरेसी (65 प्रजातियों सहित) को मिलाकर कुल एक बीजपत्री का 72 प्रतिशत है। द्विबीजपत्री का प्रतिनिधित्व फैबेसी (परिवर्तित नामः पैपिलियोनेसी), एस्टरेसी, यूफारबिएसी, स्क्रोफुलैरिएसी, कन्वाल्वुलेसी, एकेन्थेसी द्वारा भली भांति किया गया है। उत्तर प्रदेश के वैविध्यपूर्ण स्थलावास में वास्कुलर क्रिप्टोगाम्स भी है जिनमें 18 वंश तथा 16 कुलों की 25 प्रजातियां हैं।

अध्ययन में फेनेरोगाम्स के दस प्रमुख कुलः

क्रमांक	कुल	वंश	प्रजातियां
1	पोएसी	56	79
2	एस्टरेसी	50	79
3	साइपरेसी	8	65
4	फैबेसी	25	59
5	स्क्रोफुलैरिएसी	18	34
6	कन्वाल्वुलेसी	8	25
7	एकेन्थेसी	17	25
8	पोलिगोनेसी	3	15
9	यूफारबिएसी	7	21
10	अमरन्थेसी	9	18

यह पुस्तक टैक्सोनोमी, इकोलोजी, लिम्नोलोजी, हाइड्रोबायोलोजी, फाइटोकेमिस्ट्री के अध्ययन में रूचि रखने वाले तथा पैलियोबोटेनिकल सैम्पल के तुलनात्मक अध्ययन के लिये बहुत सहायक सिद्व होगें।

अध्ययन क्षेत्र में फेनेरोगेम के 10 मुख्य वंश

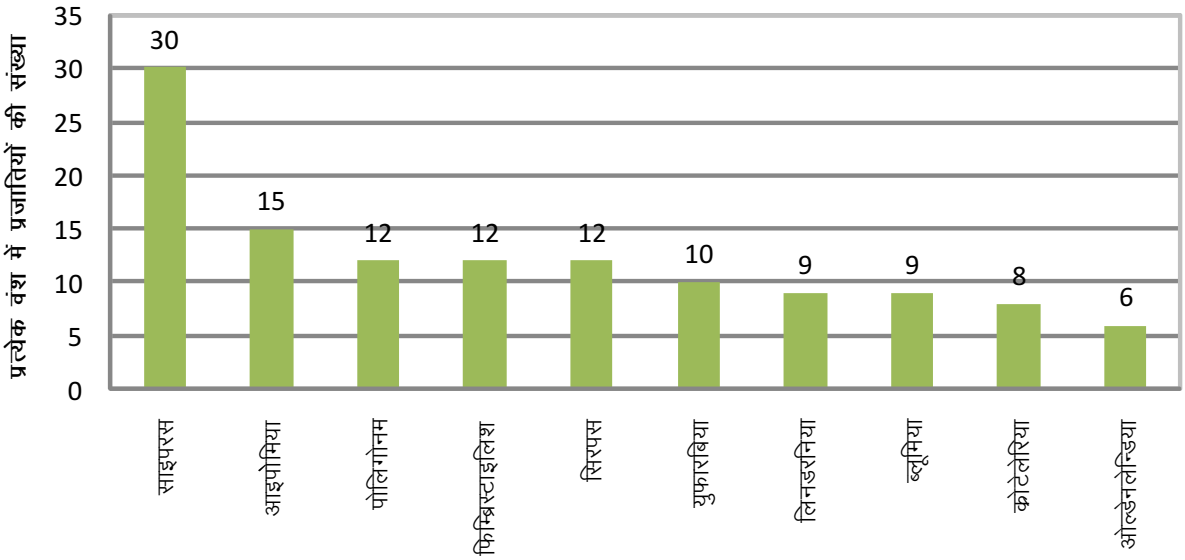

क्रम० सं०	वंश	प्रजातियों की संख्या	कुल
1	साइपरस	30	साइपरेसी
2	आइपोमिया	15	कन्वाल्वुलेसी
3	पोलिगोनम	12	पोलिगोनेसी
4	फिम्ब्रिस्टाइलिश	12	साइपरेसी
5	सिरपस	12	साइपरेसी
6	युफारबिया	10	युफारबिएसी
7	लिनडरनिया	9	स्क्रोफुलैरिएसी
8	ब्लूमिया	9	एस्अरेसी
9	क्रोटेलेरिया	8	फेबेसी
10	ओल्डेनलेन्डिया	6	रूबिएसी

इस पुस्तक में वर्णित सभी जेनेरा में से साइपरेसी फैमिली का जीनस साइपरस सबसे अधिक प्रजातियों द्वारा प्रतिनिधित्वित हैं। उसके बाद दूसरे नम्बर पर कानवालल्वुलेसी फैमिली का आइपोमिया जीनस 15 प्रजातियों द्वारा प्रतिनिधित्वित हैं। पुनः साइपेरियस जेनेरा की 2 प्रजातियों फ्रिमब्रिस्टाइलिश व सिरपस पालीगोनेसी फैमिली की पालीगोनम जीनस की प्रजातियों द्वारा समान संख्या में (12 प्रजातियों) द्वारा प्रतिनिधित्वित होकर अगली इस क्षेत्र में पायी जाने वाली फैनेरोगेम की प्रभुत्व वाली प्रजातियां हैं।

2. **पोस्टर– ''हाथीपौला''** ***(इण्डोपिपटाडेनिया आउढेंसिस)***

   विलुप्ति के कगार पर खड़ी पौध प्रजाति ''हाथीपौला'' (*इण्डोपिपटाडेनिया आउढेंसिस*) को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस लुप्तप्राय पौध के संग्रहण को प्रतिबन्धित और नियंत्रित किया है। लोगों में इस पौधे की पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से यह पोस्टर छपवा कर वितरित किया गया।

3. ''बायोडाइवर्सिटी डेवलेपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन'' पर लेखों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई, 2010 के अवसर पर इस स्मारिका का लोकार्पण किया गया जो देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लिखे गए हैं।

4. **पोस्टर– वेटलैंड दिवस पोस्टर**

   02 फरवरी, 2011 पर आयोजित विश्व वेटलैंड दिवस पर यह पोस्टर जारी किया गया। इस वर्ष का विषय था **''जल और वेटलैंड के लिए जंगल''**।

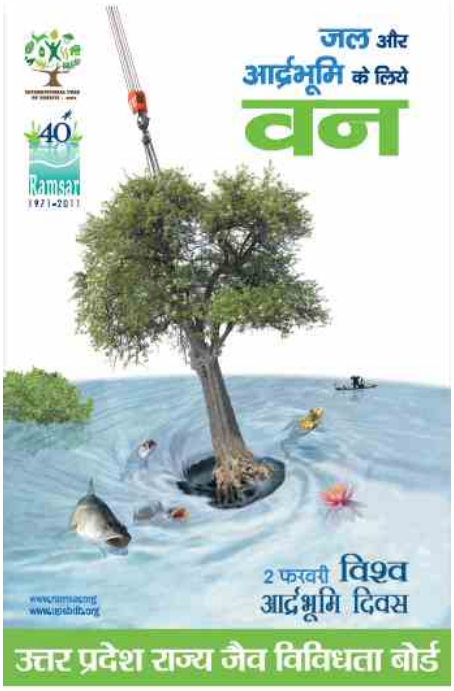

5 **पोस्टर– उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह** : पलाश को उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प घोषित होने के क्रम में बोर्ड द्वारा 'उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह' नामक निम्न पोस्टर प्रकाशित किया गया।

प्रतिलिपि लेखा परीक्षक की अनूदित लेखा परीक्षा रिपोर्ट : पृष्ठ सं. 1

संजय राजीव एण्ड कं०

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

प्रथम तल, वाई.एम.सी.ए.काम्प्लेक्स, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001
टेलीफोन नं0 (0522) 2209402, ई मेलः एमवाईसीए.लखनऊ@जीमेल.कॉम

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य
उ०प्र० राज्य जैव विविधता बोर्ड
लखनऊ

हमने 31.03.2011 को समाप्त हो रहे वर्ष के अन्तिम लेखे का परीक्षा परीक्षण किया जो साथ में संलग्न है। यह वित्तीय विवरण प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इस वित्तीय विवरण के बारे में अपनी लेखा परीक्षा सम्बन्धी अभिमत व्यक्त करना है।

1. हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आम तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा परीक्षिय मानकों के अनुसार किया, यह मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम लेखा परीक्षा इस ढंग से नियोजित और सम्पन्न करें जिससे इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो जाये कि यह वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त है। एक लेखा परीखा में, एक परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरण में व्यक्त धनराशि और खुलासे का समर्थन करने वाले प्रमाण सम्मलित होते हैं। एक लेखा परीक्षा में प्रबन्धन द्वारा प्रयोग किये जाने वाले लेखा सिद्धान्त और महत्वपूर्ण आकलन की परीक्षा और समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा हमारी धारणा को उचित आधार प्रदान करता है।
2. साथ में संलग्न लेखा के बारे में हम अतिरिक्त रिपोर्ट निम्न प्रकार करते हैंः–
   - अ. अपनी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमनें वे सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
   - ब. हमारे विचार से बोर्ड द्वारा लेखा की ऐसी उचित पुस्तक का रख–रखाव किया जा रहा है, यह उन पुस्तकों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ।
   - स. इस रिपोर्ट के माध्यम से दी जा रही प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा व तुलन पत्र (बैलेंस शीट) लेखा पुस्तक के साथ मेल खाती हैं और इसका सत्य व स्पष्ट दिग्दर्शन कराती हैं।
   - दृ हमारे विचार हमारे श्रेष्ठतम सूचना और हमको दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रस्तुत लेखा और उसके सम्बन्ध में दी गयी टिप्पणी भारत में सामान्तयः स्वीकार किये जाने वाले लेखा सिद्धान्तों के अनुपालन में उनकी सच्ची तस्वीर के अनुरूप हैं।

वास्ते संजय राजीव एण्ड कं०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
ह०
(संजय कु. भूटानी)

लखनऊ : 30.06.2011

लेखे के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और टिप्पणियां

1. बोर्ड लेखांकन की नकद प्रणाली का अनुकरण करता है तथा आय और व्यय की मान्यता नकद आधार पर देता है।
2. मियादी जमा पर ब्याज को जमा की परिपक्वता पर प्राप्त वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया गया है।
3. लेखा को ऐतिहासिक लागत के आधार पर जारी प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। लेखांकन नीति जहॉ अलग से उल्लिखित नहीं है, सामान्यतयाः स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार है।
4. जैव विविधता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में किए गये व्यय जो प्रभागीय वनाधिकारी, अवध द्वारा खर्च किए गए हैं, को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर लेखांकित किया गया है।
5. गोरखपुर में बायो पार्क पर किए गये व्यय जो प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर द्वारा खर्च किए गए हैं, की उपयोगिता सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की गयी है।
6. विभिन्न एजेंसियों/विभागों को वर्ष में जैव विविधता सम्बन्धी परियोजनाओं पर दी गयी समस्त धनराशि को उस वर्ष के व्यय के रूप में लिया गया है।
7. अचल सम्पत्ति को अधिग्रहण लागत के रूप में व्यक्त किया गया है।
8. अचल सम्पत्ति पर मूल ह्रास को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर डब्लूडीवी आधार पर किया गया है।
9. पुस्तकों के अन्तशेष सामग्री को कीमत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

वास्ते संजय राजीव कं०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

ह०
(संजय कु. भूटानी)
पार्टनर

लखनऊ : 30.06.2011

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ

प्राप्ति और भुगतान लेखा

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक

प्राप्ति		धनराशि	भुगतान		धनराशि
बैंलेस खोलना			वेतन और भत्ता		304,110.00
रोकड़ नगद	5,436.00		आकस्मिकता		48,129.00
बैंक में नकद	3,372,513.00	3,377,949.00	आयकर जमा		227,109.00
			कर्मचारी वाहन		542,168.00
राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	2,500,000.00		टेलीफोन और इंटरनेट		98,542.00
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	20,000.00		अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस–2010		596,200.00
		2,520,000.00	पुस्तकों की तैयारी		566,990.00
			चल रहे पी.बी.आर. किया कलाप		78,796.00
दान और विज्ञापन रसीद			वेब उत्थापन		10,000.00
प्राप्त ब्याज		236,259.00	जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम		68,632.00
एफ.डी.आर. पर ब्याज		9,765,591.00	परियोजनाओं, अनुसंधान, डाटा संग्रह और प्रलेखन		4,617,987.00
विविध प्राप्तियां		5,650.00	डी.एफ.ओ. गोरखपुर (जैव पार्क)		1,500,000.00
बी.एस.आई.पी. से धन वापसी		33,312.00	कम्प्यूटर रनिंग और मेन्टेनेन्स		46,155.00
पुस्तक की बिक्री		160,235.00	कार्यालय किराया		863,724.00
साविध जमा परिपक्वता		133,930,982.00	कार्यालय व्यय		92,366.00
			पिकप भवन वेलफेयर सोसायटी के लिए रखरखाव भुगतान		25,974.00
			समाचार पत्र और पत्रिकाय		17,884.00
			डाक और कोरियर		5,872.00
			बोर्ड मीटिंग और अन्य बैठकें		74,538.00
			जनशक्ति की आपूर्ति		143,942.00
			बिजली, पावर और ईंधन		100,689.00
			सोविनियर (स्मारिकाएं)		292,341.00
			लेखा परीक्षा शुल्क		23,715.00
			प्रतिभूति जमा–किराया		170,835.00
			स्थिर आस्तियों की खरीद		564,497.00
			कार्यालय रखरखाव		864,948.00
			साविध जमा		137,287,047.00
			स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा समायोजित की राशि		5,356.00
			रोकड़ बाकी		
			हस्ते रोकड़	113.00	
			बैंक में नकद	1,748,219.00	
					1,748,332.00
		150,986,878.00			**150,986,878.00**

वास्ते संजय राजीव कं०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
ह०
(संजय भूटानी)
पार्टनर

वास्ते उ०प्र०राज्य जैव विविधता बोर्ड

ह०
(पवन कुमार)
सचिव

लखनऊ : 30.06.2011

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ

आय–व्यय का लेखा

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक

व्यय	धनराशि	आय		धनराशि
वेतन और भत्ता	304,110.00	**सरकार से प्राप्त अनुदान**		
आकस्मिकता	48,129.00	राज्य सरकार	2,500,000.00	
स्टॉफ वाहन	542,168.00	केन्द्रीय सरकार	20,000.00	2,520,000.00
टेलीफोन और इंटरनेट	98,542.00	दान और विज्ञापन रसीद		956,900.00
अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस–2010	596,200.00	प्राप्त ब्याज		236,259.00
पुस्तक की तैयारी	566,990.00	एफ.डी.आर. पर ब्याज		9,765,591.00
चल रहे पी.बी.आर. किया कलाप	78,796.00	विविध प्राप्तियां		5,650.00
वेब उत्थापन	10,000.00	बी.एस.आई.पी. से वापसी		33,312.00
जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम	68,632.00	पुस्तक की बिक्री		160,235.00
परियोजनाओं, अनुसंधान, डाटा संग्रह और प्रलेखन	4,617,987.00	पुस्तकों का स्टाक		424,108.52
डीएफओ गोरखपुर (जैव पार्क)	1,500,000.00			
कम्प्यूटर रनिंग और मेन्टेनेन्स	46,155.00			
कार्यालय किराया	863,724.00			
कार्यालय रखरखाव	864,948.00			
कार्यालय व्यय	92,366.00			
पिकप भवन वेलफेयर सोसायटी के लिए रखरखाव भुगतान	25,974.00			
समाचार पत्र और पत्रिकायें	17,884.00			
डाक/कूरियर	5,872.00			
बोर्ड मीटिंग और अन्य बैठकें	74,538.00			
जनशक्ति की आपूर्ति	143,942.00			
बिजली, पावर और ईंधन	100,689.00			
सोविनियर (स्मारिका)	292,341.00			
लेखा परीक्षा शुल्क	23,715.00			
बट्टे खाते में डाले गये आयकर के लिए अतिरिक्त प्रावधान	30,911.00			
मूल्यह्रास	155,340.21			
व्यय से अधिक आय की अधिकता	2,932,102.32			
	14,102,055.52			**14,102,055.52**

वास्ते संजय राजीव कं०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
ह०
(संजय भूटानी)
पार्टनर

वास्ते उ०प्र०राज्य जैव विविधता बोर्ड

ह०
(पवन कुमार)
सचिव

लखनऊ : 30.06.2011

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ

तुलना–पत्र (बैंलेस शीट)

दिनांक 31 मार्च, 2011

दायित्व		धनराशि	आस्तियां		धनराशि
पूंजी निधि			स्थिर आस्तियां		
अग्रनीत अतिशेष	137,915,857.14		सूची के अनुसार		554,622.94
जोड़ें: वर्ष के लिए अधिशेष	2,932,102.32	140,847,959.46			
			चालू आस्तियां		
			स्त्रोत पर कर की कटौती		330,905.00
			प्रतिभूति जमा किराया		275,835.00
			पुस्तकों का स्टॉक समापन		424,108.52
			आयकर 2008–09		227,109.00
			समापन शेष		
			हस्ते रोकड़	113.00	
			बैंक में नकद	1,748,219.00	
			सावधि जमा	137,287,047.00	139,035,379.00
		140,847,959.46			**140,847,959.46**

वास्ते संजय राजीव कं०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
ह०
(संजय भूटानी)
पार्टनर

वास्ते उ०प्र०राज्य जैव विविधता बोर्ड

ह०
(पवन कुमार)
सचिव

लखनऊ : 30.06.2011

क्रम सं०–136

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू0/एन0पी0–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 09 अप्रैल, 2010

चैत्र 19, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग–5

संख्या 570/14-5-2010-57-2006

लखनऊ, 09 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

सा०प०नि०–205

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) की धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) से है;

(ख) "जैव विविधता प्रबंध समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित जैव विविधता प्रबंध समिति से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या 1498/14–5–2006–57–2006, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(ङ.) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(च) "गैर सरकारी सदस्य" का तात्पर्य पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य से है;

(छ)" सचिव" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड के सचिव से है;

(ज) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित हैं।

बोर्ड का गठन

3—बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष पदेन
(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य पदेन
(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य पदेन
(चार) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग/कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य पदेन
(पॉच) प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती	सदस्य पदेन
(छः) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश	सदस्य पदेन
(सात) पॉच विशेष सदस्य	सदस्य

बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य

4—बोर्ड के सदस्य जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग में ही उद्भूत लाभों के साम्यापूर्ण भागीदारी से सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

बोर्ड के विशेष आमंत्रित

5—बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझें, अपने कृत्यों के निष्पादन में बोर्ड की सहायता के लिए वित्त विभाग, मत्स्य विभाग के किसी अधिकारी या प्रतिष्ठित संस्थानों के किसी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन के किसी विशेषज्ञ या किसी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता है।

गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते

6—(1) बोर्ड का प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य अपनी नियुक्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(2) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाला प्रत्येक गैर–सरकारी सदस्य बैठक भत्ता, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें।

गैर सरकारी सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना

7—(1) बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग–पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है और बोर्ड में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।

(2) बोर्ड में किसी गैर सरकारी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को नए सिरे से नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरे जाने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया था, केवल शेष पदावधि तक पद धारण करेगा।

बोर्ड के सदस्यों को हटाया जाना

8–बोर्ड के किसी सदस्य को धारा 25 के साथ पठित धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस निमित्त सम्यक् और उचित जाँच नहीं कर ली जाती है और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान कर दिया जाता है।

बोर्ड का मुख्यालय

9–बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

बोर्ड का सचिव

10–(1) राज्य सरकार अपर प्रमुख वन सरंक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक के स्तर के किसी अधिकारी को बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी।

(2) सचिव बोर्ड की बैठकों का समन्वय और बैठक बुलाने और बोर्ड के कर्मचारियों का अभिलेख रखने और ऐसे अन्य विषयों जो बोर्ड द्वारा सौपें जायें, के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सचिव बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन, निधि के प्रबन्धन और बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन विभिन्न कार्यकलापों या कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित सभी आदेश और अनुदेश सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगें।

(5) सचिव या तो स्वयं या उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय शक्तियों की सीमा के भीतर सभी प्रकार के भुगतान को स्वीकृत और उनका संवितरण कर सकता है।

(6) सचिव बोर्ड के समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की गोपनीय रिपोर्ट लिख कर रखेगा और उन्हें अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करायेगा।

(7) सचिव को बोर्ड द्वारा यथा प्रयायोजित प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृतियॉ प्रदान करने की शक्ति हो।

(8) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर उसे सौंपे जायें।

बोर्ड की बैठकें

11–(1) बोर्ड की बैठकें तीन मास की अवधि के पश्चात् एक वर्ष में कम से कम चार बार बोर्ड के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, आयोजित की जायेंगी।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम छः सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के निदेश पर बोर्ड की विशेष बैठक आहूत कर सकता है।

(3) सदस्यों को कोई सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और विशेष बैठक बुलाने के लिए उददेश्य, समय व स्थान, जिस पर ऐसी बैठक आयोजित की जायेगी, विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीन दिन की सूचना दी जायेगी।

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) किसी बैठक में बोर्ड का विनिश्चय, यदि आवश्यक हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाएगा।

(6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

(7) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में गणपूर्ति पाँच होगी।

(8) कोई सदस्य किसी बैठक में ऐसे किसी विषय पर, जिसके लिए उसे दस दिन की सूचना नही दी गई है, बैठक में विचार करने के लिए उसे अग्रसारित करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अध्यक्ष अनुज्ञा न दे।

(9) बैठक की सूचना सदस्यों को संवाहक द्वारा परिदत्त करके या इसे उसके अन्तिम निवास या कारबार के ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसी रीति से जिसे मामले की परिस्थितियों में बोर्ड का सचिव ठीक समझे, दी जायेगी।

(10) इसके अतिरिक्त, बोर्ड अपने कारबार के संचालन में ऐसी अन्य प्रकिया अपना सकता है जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे।

बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और उनकी हकदारी

12–(1) बोर्ड ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें वह ठीक समझे, उतनी संख्या में समितियाँ गठित कर सकेगा जो पूर्णतः सदस्यों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों या अंशतः सदस्यों या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी हो।

(2) बोर्ड के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसी फीस और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो बोर्ड ठीक समझे।

(3) बोर्ड किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को आमन्त्रित कर सकता है जिसकी सहायता व सलाह वह अपने कृत्यों के सम्पादन में प्राप्त करने और अपनी किन्हीं बैठकों में विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए उपयोगी समझे। बोर्ड से सहयुक्त ऐसा व्यक्ति बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथाविहित भत्ते पाने का हकदार होगा।

बोर्ड के अन्य कृत्य

13–बोर्ड के अन्य कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(एक) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करना;

(दो) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो;

(तीन) उत्तर प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण से सम्बन्धित प्रकरणों की पहचान करना और जैव विविधता सम्बन्धी रणनीति और कार्य योजना तैयार करना;

(चार) समुचित अन्तरालों पर उत्तर प्रदेश की जैव विविधता रिपोर्ट को प्रास्थिति का निर्गोचन करना और रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करना;

(पाँच) राज्य की जैव विविधता नीति की विरचना करना और जैव विविधता पार्क स्थापित करना;

(छः) राजस्व उत्पादन के विभिन्न तरीके यथा सावधि जमा, विज्ञापन, प्रत्याभूति, दान और ऐसे अन्य तरीके आदि अपनाना;

(सात) व्यष्टि या समूह या संस्था को राज्य में जैव विविधता संरक्षण में अभिनव परिवर्तन और उसमें योगदान के लिए पुरस्कृत करना;

(आठ) अध्ययन आरम्भ करना, अन्वेषण और अनुसंधान प्रायोजित करना, विभिन्न क्षेत्रों पर सम्मेलन/परिसंवाद/कार्यशालायें/ बैठकें आयोजित करना;

(नौ) बोर्ड को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शदाताओं को लगाना, परन्तु यह कि यदि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी परामर्शदाता को लगाना आवश्यक और समीचीन हो तो बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा;

(दस) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उदभूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकडें और मैनुअल, संहिताएं संगृहीत, संकलित और प्रकाशित करना;

(ग्यारह) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उदभूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित जन प्रचार (इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेबसाइट, प्रिंट मीडिया, ब्राउचर्स, न्यूजलेटर्स, वृत्त चित्र या अभिनव पद्धति आदि) द्वारा वृहत् कार्यक्रम आयोजित करना;

(बारह) अधिनियम के प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं समस्त पणधारियों के आनलाइन प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना और प्रशिक्षण का आयोजन करना;

(तेरह) बोर्ड के प्रचालन की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, उसके रसीदों को समाविष्ट करते हुए, तैयार करना;

(चौदह) समस्त कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करना और बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव को ऐसी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृति प्रत्यायोजित करना जैसा वह उचित समझे;

(पन्द्रह) बोर्ड के कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार से पदों के सृजन करने की सिफारिश करना और ऐसे पद सृजित करना;;

(सोलह) बोर्ड के कृत्यों के उचित एवं प्रभावी रूप से निष्पादन के लिए संविदा/प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को लगाना;

(सत्रह) प्रभावी प्रबन्धन, संवर्धन और पोषणीय उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रजिस्टर और इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान के लिए डाटा बेस बनाने और जानकारी तथा दस्तावेज पद्धति सृजित करने के लिए कदम उठाना;

(अठारह) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता और जैव विविधता पर निर्भर जीविका, योजना व प्रबन्धन के सभी खण्डों में और स्थानीय स्तर से योजना के सभी स्तरों पर जैव संसाधन के संरक्षण और पोषणीय प्रयोग हेतु प्रभावी योगदान करने के लिए संघटित किये जा रहे हैं,

(उन्नीस) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए जैव विविधता समितियों को सुदृढ़ बनाना और मार्गदर्शन प्रदान करना;

(बीस) राज्य सरकार को बोर्ड के कृत्यों और अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के बारे में रिपोर्ट देना;

(इक्कीस) समय-समय पर जैव संसाधनों के सम्बन्ध में फीस के संग्रह और वितरण की सिफारिश करना, उसे विहित करना और उपान्तरित करना;

(बाईस) अधिकारों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा, जैव संसाधनों पर अधिकार और सहबद्ध जानकारी, जिसके अन्तर्गत जनता जैव विविधता पंजी में अभिलिखित सूचना के संरक्षण सहित यथाउपयुक्त सूचना की गोपनीयता बनाये रखने की पद्धति भी है, को सुनिश्चित करने का उपाय करना;

(तेईस) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के लिए अनुदान सहायता और अनुदान संस्वीकृत करना;

(चौबीस) अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;

(पच्चीस) किसी जैवीय संसाधन और किसी अवैध रीति से राज्य से अभिप्राप्त ज्ञान के सम्बन्ध में बौद्धिक सम्पदा अधिकार अनुदत्त किये जाने का विरोध करने के लिए विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति सहित आवश्यक उपाय करना;

(छब्बीस) चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निस्तारण करना और उसकी संविदा में प्रविष्टि करना;

(सत्ताईस) विरासत स्थलों के प्रबन्ध और संरक्षण के लिए उपाय प्रदान करनाय

(अट्ठाईस) अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित किसी वर्ग के लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना और उनका पुनर्वास करना,

(उनतीस) जैवीय संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना;

(तीस) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना जहाँ से ऐसे जैवीय संसाधन या सहबद्ध ज्ञान अभिप्राप्त किये गये हैं;

(इकतीस) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा सौपें या समय–समय पर बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये जायें।

अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

14–अध्यक्ष –

(एक) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के कार्यकलाप अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दक्षतापूर्वक किये जा रहे हैं;

(दो) को बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के ऊपर साधारण अधीक्षण की शक्ति होगी और वह बोर्ड के कार्यों के संचालन और प्रबन्ध के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा;

(तीन) बोर्ड की सभी बैठकें आयोजित करेगा और उनकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा किये गये सभी विनिश्चय समुचित रीति से कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें।

जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारपरिक ज्ञान के प्रति पहुँच के लिए प्रकिया

15–(1) अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुँच रखने के लिए बोर्ड का अनुमोदन चाहने वाला कोई व्यक्ति इस नियमावली में संलग्न प्ररूप 1 में आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा समय–समय पर परिवर्तन के अधीन रहते हुए दो हजार पाँच सौ रूपये का माँगपत्र संलग्न होगा।

(3) बोर्ड आवेदन पत्र का सम्यक मूल्यनिरूपण करने और ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात, जो आवश्यक समझी जाय, आवेदन का यथाशक्य शीघ्र उसकी प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(4) बोर्ड आवेदन के गुणागुण का समाधान करने के पश्चात् जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुँच का अनुमोदन, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करने के लिए ठीक समझे, अनुदत्त कर सकता है।

(5) पहुँच के सम्बन्ध में अनुमोदन बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार के रूप में होगा।

(6) पहुँच के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट रूप से उन जैवीय संसाधनों, जिनके लिए पहुँच अनुदत्त की जा रही है, के परीक्षण और संरक्षण के लिए उपायों का विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध कर सकती है।

(7) बोर्ड लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।

(8) कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(9) बोर्ड अनुदत्त अनुमोदनों को मुद्रण या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए कदम उठाएगा और आवधिक रूप से उन शर्तों का, जिन पर अनुमोदन मंजूर किया गया था, अनुपालन का अनुश्रवण करेगा।

पहुँच या अनुमोदन का प्रतिसंहरण

16–(1) बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से स्वीकृत की गयी पहुँच को वापस ले सकता है या लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकता है, अर्थात :–

(क) युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि उस व्यक्ति ने जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया था अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या शर्त जिस पर अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लघंन किया है;

(ख) वह व्यक्ति जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहा है;

(ग) अनुदत्त पहुँचों की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहने पर;

(घ) लोक हित या पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता परिरक्षण का अतिलंघन करने पर;

(2) बोर्ड पहुँच को प्रतिषिद्ध करने और नुकसान, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए और नुकसान को पूरा करने के लिए उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये प्रतिसंहरण के प्रत्येक आदेश की एक प्रति सम्बन्धित बोर्ड और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को भेजेगा।

जैव संसाधनों के प्रति पहुँच से सम्बन्धित कियाकलापों पर निर्बन्धन

17–बोर्ड यदि आवश्यक और उपयुक्त समझे तो जैव संसाधनों के प्रति पहुँच के अनुरोध का निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारणों से कदम उठाएगा, अर्थात :–

(क) पहुँच के लिए अनुरोध किसी संकटापन्न टैक्सा के संबंध में भी है;

(ख) पहुँच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक और विरल जातियों के सम्बन्ध में भी है;

(ग) पहुँच के लिए अनुरोध से स्थानीय व्यक्तियों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(घ) पहुँच के लिए अनुरोध से पर्यावरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे नियंत्रण और उसका उपशमन किया जाना कठिन हो सकता है;

(ङ) पहुँच के लिए अनुरोध से आनुवंशिक क्षरण हो सकता है या प्रास्थितिक कृत्य प्रभावित हो सकते हैं;

(च) ऐसे प्रयोजनों के लिए स्रोतों का उपयोग जो राष्ट्र/राज्य के हित के और भारत द्वारा किये गये अन्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य सम्बन्धी करारों और उत्तर प्रदेश राज्य के हित के प्रतिकूल हैं।

राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन

18–(1) राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन सचिव द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य जैव विविधता निधि में तीन पृथक लेखा शीर्षक होंगे,–

- एक राज्य सरकार से प्राप्तियों (अनुदान तथा ऋण) के सम्बन्ध में,
- दूसरा लेखा शीर्षक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान तथा ऋणों का होगा,
- अन्य फीस, रजिस्ट्रीकरण फीस, दान, प्रायोजन, विज्ञप्ति, टैरिफ, रायल्टी तथा बोर्ड की अन्य प्राप्तियों से सम्बन्धित होगा।

(3) राज्य सरकार विधि द्वारा इस निमित्त राज्य विधान मण्डल द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात् बोर्ड को ऐसी राशि संदत्त करेगी जैसी राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

(4) निधि का उपयोग नियम 13 में उल्लिखित बोर्ड के सामान्य कृत्यों के सम्पादन के लिए किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों का वार्षिक विवरण

19–(1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने कियाकलापों का विस्तृत विवरण तथा लेखों का वार्षिक विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड लेखों को रखने की प्रकिया अधिकथित करेगा। बोर्ड के लेखों का वार्षिक लेखा बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का महालेखाकार बोर्ड के लेखा की संपरीक्षा कर सकेगा।

(3) बोर्ड प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के सितम्बर मास तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखा विवरण राज्य सरकार को इस प्रकार प्रस्तुत करेगा जिससे कि राज्य सरकार उसे विधानसभा के समक्ष रखने में समर्थ हो सके।

जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबधन

20–बोर्ड सम्बन्धित स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख भागीदारों के परामर्श से महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सुकर बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।

जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन

21–(1) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय निकाय में गठित जैव विविधता प्रबन्ध समिति एक अध्यक्ष सहित स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट छः से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें एक तिहाई से अन्यून महिलाएं और 18 प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के होने चाहिए।

(2) जैवविविधता प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी बैठक में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। मतों के बराबर–बराबर होने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।

(3) जैव विविधिता समिति की कालावधि तीन वर्ष होगी।

(4) विधान सभा/ विधान परिषद के स्थानीय सदस्य और संसद सदस्य समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगे।

(5) जैव विविधता समिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जनता जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारम्परिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी अन्तर्विष्ट होगी।

(6) जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड या स्थानीय वैद्यों और व्यवसायियों को, जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में आंकड़े रखने के बारे में अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सलाह देना होगा।

(7) बोर्ड जनता जैव विविधता रजिस्टर और उसकी विशिष्टियां और इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए कदम उठाएगा।

(8) बोर्ड जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को जनता जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।

(9) जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा जनता जैव विविधता रजिस्टर रखे जाएंगे और विधिमान्य किए जाएंगे।

(10) समिति जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुँच, अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्योरे और अभिप्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की रीति के ब्योरों के सम्बन्ध में जानकारी देने वाले रजिस्टर भी रखेगी।

(11) वन क्षेत्र की स्थिति में तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/नियमों /माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के अनुसार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा अवधारित वन प्रबंध समितियाँ/ पारिस्थितिकी विकास समितियाँ होंगी।

स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन, अभिरक्षा और उपयोग के प्रयोजन

22–(1) बोर्ड धारा 43 के अधीन गठित स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा करने के लिए स्थानीय निकाय को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण से उसके द्वारा प्राप्त किया गया ऋण या अनुदान उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक उसके द्वारा पहचाने गए या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अन्य स्त्रोतों से भी पहुंच सकेगा।

(2) स्थानीय जैवविविधता निधि का परिचालन जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा निधि के प्रचालन के लिए ऐसी रीति सम्मिलित करते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी जिसमें इसके कृत्य संबंधित स्थानीय निकायों के समस्त सदस्यों के लिये पारदर्शक तथा उत्तरदायी हों।

(3) निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैवविविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए, जहां तक ऐसा उपयोग जैवविविधता के संरक्षण से संगत है, किया जाएगा।

(4) स्थानीय जैवविविधता निधि का लेखा ऐसे प्ररूपों में जैसे बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समयों पर, जैसा कि अवधारित किया जाए तैयार किया जाऐगा।

(5) जैवविविधता प्रबंधन समितियां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

(6) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे ऐसे तरीके से संधारित तथा संपरीक्षित किए जाएंगे जैसा कि बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय।

प्ररूप–1

(नियम 15 देखिए)

जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड के समक्ष आवेदन प्ररुप
(जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 और 24* देखिए)

भाग–क

1- आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां -

1.1 आवेदक का नाम

1.2 स्थायी पता :

1.3 भारत में संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :

1.4 संगठन का विवरण (विभाग कोई व्यष्टि हैं तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)। कृपया – अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज़ संलग्न करें:

1.5 कारबार की प्रकृति:

1.6 संगठन/आवेदक का भारतीय रूपये में व्यावृत्त:

2- **चाही गई पहुंच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुंच किए जाने वाले सहबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।**

(क) पहचान (वैज्ञानिक नाम) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान:

(ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलीय अवस्थिति:

(ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन प्रकृति,

(घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यष्टि/समुदाय:

(ड) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा (अनुसूची दें):

(च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है:

(छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या:

(ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रकिया और विस्तार, व्युत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किए जाने की संभावना भी है:

(झ) क्या संसाधनों के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुंच से उत्पन्न हो सकेगा:

3- पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के भारत/समुदायों को प्रवहित होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन।

4- फायदे प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं।

5- कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएं।

भाग–ख

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी के लिए दायी हूँगा/होंगे।

हस्ताक्षर
आवेदक/संगठन का नाम
और मुहर

स्थान
तारीख

***जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 24 देखिए**

कतिपय कियाकलापों निर्बंधित करने की राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्ति।

24–(1) भारत का कोई नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या भारत में रजिस्ट्रीकृत संगम, जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना ऐसे प्ररूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी संसूचना की प्राप्ति पर राज्य जैव विविधता बोर्ड संबंधित निगमित निकाय से परामर्श करके और ऐसे जांच करने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा ऐसे किसी कियाकलाप को प्रतिषेध या निबन्धित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा कियाकलाप, संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या ऐसे कियाकलाप में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के प्रतिकूल या विरुद्ध हो:

परंतु यह कि ऐसा कोई हिस्सा आदेश प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(3) पूर्व इत्तिला के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई कोई सूचना गुप्त रखी जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उससे कोई संबंध नहीं, साशय या बिना आशय के प्रकट नहीं की जाएगी।

आज्ञा से,
चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड

तृतीय तल, ए ब्लॉक, पूर्वी विंग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ-226010
फोन 0522-4006746, 2306491
ईमेलः uupstatebiodiversityboard@gmail.com, वेबसाईट :http://www.upsbdb.org